विश्व डेंगू दिवस पर कार्यक्रम आयोजित

नवभारत न्यूज
भिण्ड, 16 मई। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व डेंगू दिवस के अवसर पर जिले में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, मलेरिया विभाग एवं एंबेड परियोजना के संयुक्त तत्वावधान में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य वेक्टर जनित रोगों विशेष रूप से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका एवं फाइलेरिया की रोकथाम हेतु आमजन को जागरूक करना एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को इसके नियंत्रण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना रहा।

कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे.एस. यादव, जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. डी.के. शर्मा, जिला क्षय अधिकारी डॉ. देवेश शर्मा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक सहित मलेरिया विभाग के समस्त कर्मचारी तथा एंबेड परियोजना गोदरेज एवं फैमिली हेल्थ इंडिया के सहयोग से संचालित की टीम उपस्थित रही।

डेंगू से बचाव के उपाय बताए गए: इस अवसर पर डॉ. डी.के. शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि डेंगू मच्छर का लार्वा साफ एवं स्थिर पानी में पनपता है। अत: घरों के आस-पास पानी जमा न होने दें। कूलर, टंकी, ड्रम, गमले इत्यादि को सप्ताह में कम से कम एक बार अवश्य खाली करें एवं सफाई रखें। उन्होंने बताया कि डेंगू एवं मलेरिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द आदि होने पर तुरंत जांच कराना चाहिए और समय पर इलाज करवाना आवश्यक है।

स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दिलाई गई शपथ: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे.एस. यादव ने इस अवसर पर उपस्थित समस्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को डेंगू नियंत्रण के प्रति शपथ दिलाई। शपथ में यह संकल्प लिया गया कि हम डेंगू के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। अपने घर और आस-पास साफ-सफाई रखेंगे तथा डेंगू मच्छरों के प्रजनन स्थानों को समाप्त करेंगे।

बुखार होने पर जांच करवाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। स्वास्थ्य विभाग एवं शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। हम सामूहिक प्रयास से डेंगू नियंत्रण में योगदान देंगे और समाज को सुरक्षित बनाएंगे। **एंबेड परियोजना की विशेष भूमिका:** डेंगू एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम हेतु जिले में गोदरेज एंबेड परियोजना फैमिली हेल्थ इंडिया के सहयोग से द्वारा निरंतर जन-जागरूकता गतिविधियां चलाई जा रही हैं। कार्यक्रम में एंबेड परियोजना के जिला समन्वयक पवन शर्मा, गणेश शाक्य एवं उनकी टीम की विशेष उपस्थिति रही। उन्होंने बताया कि फील्ड वर्कर्स के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से जागरूकता, सर्वे, लार्वा डिटेक्शन एवं कम्युनिटी सहभागिता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

नागरिकों से अपील: अंत में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. यादव एवं मलेरिया अधिकारी डॉ. शर्मा ने जिलेवासियों से अपील की कि वे स्वयं सतर्क रहते हुए अपने परिवार एवं समाज को सुरक्षित रखें। वेक्टर जनित बीमारियों को नियंत्रित करने हेतु शासन-प्रशासन का सहयोग करें और हर संभव प्रयास करें कि हमारा जिला डेंगू-मुक्त घोषित हो सके।

अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त, 19 तक हटाएं कब्जा

नवभारत न्यूज
मेहगांव, 16 मई। मेहगांव कस्बे में नालों और सार्वजनिक मार्गों पर हो रहे अवैध अतिक्रमणों को लेकर प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नवनीत शर्मा द्वारा नगर परिषद को भेजे गए पत्र के पालन में आज मुख्य नगर परिषद अधिकारी सीएमओ महेश पुरोहित के नेतृत्व में नगर परिषद व प्रशासनिक टीम ने पूरे कस्बे में निरीक्षण कर अतिक्रमण की स्थिति का जायजा लिया। प्रशासनिक दल ने भिण्ड रोड, मुरैना रोड, मौ रोड तथा हाट बाजार सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जाकर नालों पर हुए अतिक्रमणों और दुकानदारों द्वारा सड़क तक फैलाए गए ढांचों को देखा और संबंधित दुकानदारों एवं मकान मालिकों को चेतावनी दी कि वे दिनांक 19 मई तक स्वेच्छा से अपने-अपने अतिक्रमण को हटाएं, अन्यथा प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाकर जप्ती की कार्रवाई की जाएगी।

नालों पर किया अतिक्रमण: अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई दुकानदारों ने नालों को कवर कर उस पर निर्माण कार्य कर लिया है, जिससे नालियों की साफ-सफाई और जल निकासी बाधित हो रही है। साथ ही, कई स्थानों पर व्यापारियों द्वारा फुटपाथ और सड़क पर कब्जा कर ग्राहकों की भीड़ जमा करने से आवागमन बाधित हो रहा है और ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है।

प्रशासन की चेतावनी: नहीं माने तो होगी सख्त कार्रवाई: मुख्य नगर परिषद अधिकारी महेश पुरोहित ने स्पष्ट कहा है कि 19 मई तक अतिक्रमण स्वयं हटाएं, अन्यथा नगर परिषद एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा अतिक्रमण हटाकर सामग्री जप्त की जाएगी और दोषियों पर नियमानुसार जुर्माना तथा विधिक कार्यवाही की जाएगी।

प्रशासनिक अमला रहा मौजूद: अभियान के दौरान प्रशासन की ओर से एसडीएम नवनीत शर्मा, एसडीओपी संजय कोच्छा, थाना प्रभारी महेश शर्मा, सीएमओ महेश पुरोहित, नगर परिषद का पूरा अमला और स्थानीय पुलिस बल सक्रिय रूप से शामिल रहा। पूरी टीम ने पैदल मार्च करते हुए स्थिति को समझा और अतिक्रमणकारियों को मौखिक रूप से चेताया। प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की कि वे स्वेच्छा से अपने कब्जे हटाएं ताकि शहर की साफ-सफाई, जल निकासी और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके।

धूमधाम से मनाया मातृ दिवस

मालनपुर। ओम शांति ब्रह्माकुमारीज गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर मालनपुर में मातृ दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया। जिसमें ग्वालियर की वरिष्ठ भा.ज.पा. नेत्री सुमन बहन पहुंची, जिन्होंने आए हुए सभी माता, बहनों को यही बताया बच्चों की पालना बहुत प्यार से करना है लेकिन उसके साथ-साथ गलती होने पर शक्ति का रूप धारण करके उनको सावधानी भी देना है और जरूरत पड़े तो सजा देकर भी उनकी गलतियों को सुधारना है। बचपन में ही यदि बच्चों की गलतियां ठीक हो जाती हैं तो वह भविष्य में हमारा सहारा बनते हैं, उन्होंने यह भी बताया माताओं को अपने पतियों का और अपने घर के अन्य सदस्यों का भी सम्मान करना है, ख्याल रखना है। माता-पिता दोनों ही बच्चों के आधार होते हैं परिवार वही होता है जिसमें एक दूसरे के लिए प्यार हो। आप सभी आपस में प्यार, सहयोग और शांति से अपने जीवन को जीते रहे। ऐसी हमारी शुभकामनाएं है।

एस आर एफ फाउंडेशन की पहल पर ग्रामीणों ने मिलकर की शिक्षा पर चर्चा

नवभारत न्यूज
मालनपुर, 16 मई। हरीराम का पुरा गांव के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में एस आर एफ फाउंडेशन द्वारा ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम भिण्ड के अंतर्गत शिक्षा पर बात करते हुए आंगनवाड़ी एवं विद्यालय विकास में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से एक ग्रामीण स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का शुभारंभ संस्था प्रधान श्री मती रजनी दादौरिया जिला कार्यक्रम अधिकारी चैन सिंह किरार एवं उपस्थित मुख्य अतिथि एवं गणमान्य नागरिकों का माल्यार्पण कर स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए किया गया । कार्यक्रम के दौरान प्रेरणादायक गीत बच्चों की पढ़ाई पर विचार होना चाहिए ... माध्यम से सभी को शिक्षा एवं सहयोग और अपनी अपनी जिम्मेदारी से अवगत कराया गया।

बैठक के दौरान संस्था प्रधान के द्वारा नगर परिषद अध्यक्ष विद्यालय स्टाफ एवं समुदाय के सदस्यों के साथ चर्चा करते हुए विद्यालय में हो रही अनौपचारिक गतिविधियों एवं विद्यालय भवन तोड़ भोड़,चोरी ऐसी घटना एवं हो रहे नुकसान पर चिंता व्यक्त की गई। समुदाय के लोगों के साथ इस विषय में आवश्यक सहयोग देने एवं समस्या के समाधान हेतु आग्रह किया गया, एवं बच्चों को रोजाना स्कूल भेजने और व्यवस्थाओं के रखरखाव के साथ सहयोग करने की ग्रामीणजन से अपील की ।

नगर परिषद अध्यक्ष एवं समुदाय के सदस्यों ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही इन समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगे और विद्यालय की सुरक्षा एवं मर्यादा बनाए रखने में पूर्ण सहयोग देंगे और विद्यालय की लाइट की समस्या जल्द से जल्द कराने का आश्वासन दिया गया एवं विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में एसआरएफ फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी चैन सिंह किरार ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार केवल संसाधनों से नहीं, बल्कि समुदाय की सक्रिय सहभागिता से संभव है। उन्होंने अभिभावकों एवं समुदाय से अपील की कि वे बच्चों की पढ़ाई में रुचि लें, नियमित रूप से विद्यालय से जुड़ें एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाएं। उन्होंने यह भी बताया कि फाउंडेशन न केवल भौतिक संसाधनों के विकास पर कार्य कर रहा है, बल्कि छात्रों की समग्र शैक्षणिक प्रगति को भी प्राथमिकता दे रहा है।

इस संवाद के दौरान एस आर एफ फाउंडेशन की बातों से प्रेरित होकर गाँव के समुदाय के लोगों ने सहयोग की भावना दिखाते हुए स्वेच्छा से नगद राशि भेंट की। यह सहयोग स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों के सशक्तिकरण, बुनियादी सुविधाओं में सुधार और बच्चों शिक्षा के लिए उपयोग में लाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान एस आर एफ फाउंडेशन के द्वारा इस अवसर पर बच्चों के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर ब्लूटूथ स्पीकर और पेनड्राइव प्रदान किए गए, यह सभी सामग्री उन्हें बच्चों के साथ शिक्षण-संबंधी गतिविधियों को अधिक प्रभावी और रोचक बनाने में सहायक होंगी।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा मीटिंग के दौरान आग्रह किया कि नई जनगणना के आधार पर आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या में वृद्धि की जाए ताकि प्रत्येक बच्चे तक समुचित सेवाएं पहुँचाई जा सकें। इस पहल का उद्देश्य बच्चों के समुचित विकास के साथ-साथ मातृ स्वास्थ्य को भी सशक्त बनाना है।

बैठक के दौरान नगर परिषद मालनपुर मुकेश किरार, जिला कार्यक्रम अधिकारी चैन सिंह किरार, संस्था प्रधान रजनी दादौरिया, शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष राजेंद्र, पर्यवेक्षक सुनीता छारी ,आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरोज बंसल प्रसाद , सोनू कुमारी (फीडबैक फाउंडेशन), विद्यालय स्टाफ,राम लखन सिंह, सुभाष बंसल, पुष्पेंद्र सिंह, विद्यालय स्टाफ, तथा लगभग 105 समुदाय सदस्य, युवा , छात्र एवं एस आर एफ टीम सदस्य उपस्थित रहे।

लोकतंत्र की गरिमा और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हो : कटारे

नवभारत न्यूज
भिण्ड, 16 मई। देश के न्यायिक इतिहास में यह पहली बार देखने को मिला है जब किसी मंत्री के विरुद्ध उच्च न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लेते हुए गंभीर आपराधिक धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को सीधे दिए हैं। न्यायालय ने अपने आदेश में मंत्री विजय शाह द्वारा की गई भाषा को गटर की भाषा बताया है। यह टिप्पणी न केवल निंदनीय है, बल्कि यह सार्वजनिक जीवन में नेताओं की भाषा की गिरावट का भी एक खतरनाक संकेत है। इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि एफआईआर को अब तक गोपनीय रखा जा रहा है, जो न्याय की पारदर्शिता और मूल भावना पर सीधा आघात है। यह बात प्रेसनोट जारी करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कही।

उन्होंने बताया कि इस पूरे प्रकरण में उच्च न्यायालय ने यह तक कह दिया कि उन्हें मध्यप्रदेश सरकार और गृह विभाग पर विश्वास नहीं है। यह स्थिति लोकतंत्र के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर चेतावनी है। यह उल्लेखनीय है कि गृह विभाग स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है, और ऐसे समय में जब उन्हें जवाबदेही निभानी थी, वे दलगत राजनीति में कांग्रेस-भाजपा का विमर्श खोजते रहे, जो अत्यंत खेदजनक है। मुख्यमंत्री, यह दलगत राजनीति का विषय नहीं है। यह संविधान की मर्यादा, लोकतंत्र की गरिमा और जनता के विश्वास का विषय है। जब एक मंत्री पर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगे हों, तब भी यदि मुख्यमंत्री उसे कैबिनेट में बनाए रखें, तो यह लोकतंत्र और नैतिक मूल्यों का घोर अपमान है। मैं पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती उमा भारती जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर इस मुद्दे पर स्पष्ट और साहसिक आवाज़ उठाई। मैं भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से अपील करता हूं कि वे तत्काल विजय शाह को मंत्रिपद से हटाएँ अथवा बर्खास्त करें। देश का कानून और संविधान किसी व्यक्ति से ऊपर नहीं हो सकता—चाहे वह कितनी भी ऊँची कुर्सी पर क्यों न बैठा हो।

दिव्यांग बच्चों के लिए शिविर आयोजित

भिंड। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं उमेश पाण्डव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिंड के निर्देशानुसार विमला देवी विद्या मंदिर दिव्यांग विद्यालय, भिंड में एक विशेष विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजना मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं एवं उनके संरक्षण के लिए विधिक सहायता योजना, 2015 के अंतर्गत आयोजित किया गया। शिविर में मुख्य रूप से पंकज चतुर्वेदी, जिला न्यायाधीश, भिंड एवं अनुभूति गुप्ता, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिंड उपस्थित रहे। उन्होंने विशेष रूप से मानसिक एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

आम सूचना

श्री रामसहाय एवं श्री अशोक पुत्रगण श्री गणपति के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित तकिया मौहल्ला, ग्राम गोरमी, प.ह.नं.21, रा.नि.मं.गोरमी नं.01, तहसील गोरमी एवं जिला भिण्ड (म.प्र.) है जो नगर पंचायत गोरमी वार्ड क्र.03 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.1547 एवं 1548 ग्राम गोरमी का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1890 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में-रास्ता 10 फुट चौड़ा, पश्चिम में-भवन मोहन कोली, उत्तर में-भवन इंद्रोबाई एवं दक्षिण में-भूमि नेमी है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री रतनचंद्र पुत्र श्री अयोध्याप्रसाद एवं श्री रामभरोसे पुत्र श्री हुलासीराम के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री रतनचंद्र द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री रामसहाय एवं श्री अशोक पुत्रगण श्री गणपति को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी042912019ए1515703 दिनांक 18.07.2019 से विक्रय की गई। श्री रामसहाय एवं श्री अशोक द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान पिरामल कैपीटल एण्ड हाउसिंग फायनेंस लि. शाखा ग्वालियर (म.प्र.) के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांकों के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृप्या सूचित हो ।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. - भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)
मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती रेनू सिंह पत्नी श्री सुनील कुमार के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की एक अचल संपत्ति वार्ड क्रं. 18, पटवारी हल्का क्रं 35, ग्राम कीरतपुरा, तहसील गोहद जिला भिंड के सर्वे क्र. 19/1 बदलकर नया सर्वे क्र. 14/1/1/1 (मूल सर्वे क्रं 14/1) एवं सर्वे क्र. 15/1/1 (मूल सर्वे क्रं 15/1), के अंश भाग की होकर जिसकी चतुर्सीमा:- पूर्व में –आम रास्ता, पश्चिम में –जगह कमलेश, उत्तर में –जगह रामअवतार, दक्षिण में –जगह रवि की होकर कुल क्षेत्रफल 1125 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति पूर्व में श्री केदार सिंह पुत्र श्री गोपी सिंह, श्री कैलाशनरायाण पुत्र श्री कलियान सिंह एवं श्री मौजीराम पुत्र श्री जयराम के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व एवं संयुक्त आधिपत्य की थी। तत्पश्चात श्री केदार सिंह पुत्र श्री गोपी सिंह, श्री कैलाशनरायाण पुत्र श्री कलियान सिंह एवं श्री मौजीराम पुत्र श्री जयराम द्वारा श्री रामअवतार सिंह एवं श्री बालकृष्ण पुत्रगण श्री सरभन लाल को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विलेख क्रं. 784, ग्रंथ क्रं. 1940, दिनांक 15.06.1992 से विक्रय की गई। तदोपरांत श्री बालकृष्ण के देहांत होने पर उक्त संपत्ति में से म्रतक भाग के हिस्से को उनके कानूनी उत्तराधिकारी अर्थात श्रीमती शीला बाई-पत्नी, श्री अजय-पुत्र, श्रीमती रूबी एवं श्रीमती भारती – पुत्रियाँ को हस्तांतरण हुई। जिसका उल्लेख राजस्व खसरा विभाग के दस्तावेजो में विधिवत दर्ज हैं। तत्पश्चात केवल श्रीमती शीला बाई पत्नी स्वः श्री बालकृष्ण, श्री अजय पुत्र स्वः श्री बालकृष्ण, श्रीमती रूबी एवं श्रीमती भारती पुत्रियाँ स्वः श्री बालकृष्ण द्वारा श्रीमती रेनू सिंह पत्नी श्री सुनील कुमार को ई-रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विलेख क्रं. MP042852024A1394743 दिनांक 27.03.2024 से विक्रय की गई। उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार मुथूट (Muthoot) हाउसिंग फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष उक्त संपत्ति पर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत होकर बंधक किए जाना प्रस्तावित है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बेंक या किसी अन्य उत्ताधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि मे विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रपत्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तीयॉ इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो।
दिनांक:- 16.05.2025

प्रेषक-विशाल अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय -"मैसर्स श्री हीरानन्द लीगल कंसल्टेंट"
ग्राउंड फ्लोर, यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के पास, सिटी सेंटर ग्वालियर मो.9826820987

सिंदूर की सफलता पर निकाली यात्रा

भिंड। पुलवामा की तर्ज पर 22 अप्रैल को पहलगाम जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों द्वारा निर्दोष हिंदुओं की जाति पूछ कर की गई नृशंस हत्या के विरोध में भारत सरकार द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता पर शुक्रवार को नगर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक अभियान का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भारतीय सेवा की दो वीर महिला अधिकारी - कर्नल सोफिया कुरैशी एवं विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने किया, जिन्होंने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर शहीदों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस गौरवपूर्ण सफलता को सम्मानित करने हेतु भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार आयोजित इस तिरंगा यात्रा में जनप्रतिनिधियों, पूर्व सैनिकों, समाजसेवियों, प्रबुद्ध जनों, विभिन्न मोर्चा-प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने राष्ट्रीय ध्वज हाथों में लेकर देशभक्ति गीतों एवं भारत माता की जय के उद्घोष के साथ नगर भ्रमण किया। यात्रा का शुभारंभ अहिंसा चौक खंड रोड से हुआ, जो परेड चौराहा, सदर बाजार, गांधी मार्केट, हनुमान बजरिया से होते हुए किला गेट पर पहुंची। वहां शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा का समापन किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया ने संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, भारत की सैन्य शक्ति, महिला शक्ति और संकल्प की जीत है। जिस क्रूरता से पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 26 निर्दोष हिंदुओं को शहीद किया, उसी क्रूरता का उत्तर हमारी बेटियों ने पाक में घुसकर दिया। यह केवल प्रतिशोध नहीं, न्याय है। सांसद संध्या राय ने कहा कि हमारा सिर गर्व से ऊंचा है कि हमारी बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई और अवंतीबाई की परंपरा को जीवंत कर रही हैं। यह नया भारत है जो आतंकवाद को जवाब देना जानता है। विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को स्मरण करते हुए कहा कि आज भी कारगिल की तरह हमारे सपूत और हमारी बेटियाँ दुश्मन को सबक सिखा रही हैं। देश को मजबूत नेतृत्व और शक्तिशाली सेना ने सुरक्षित किया है। इस गौरव यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा नेता, पूर्व सैनिक, कार्यकर्ता एवं नागरिकगण उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

सैकड़ों साधु-संतों एवं जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट वितरित

भिंड। सच्चा उत्सव वही है, जिसमें किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान आए। इस भावना को साकार किया नागदा निवासी बबिता भदौरिया एवं प्रदीप भदौरिया ने जब उन्होंने अपनी पुत्री आदित्री (धनु) के जन्मदिवस को एक सेवा पर्व के रूप में मनाया।

इस पुण्य अवसर पर टीम रोटी बैंक के सहयोग से गणेश मंदिर, भिण्ड परिसर में सैकड़ों साधु-संतों एवं जरूरतमंदों को ससम्मान भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इस आयोजन को विशेष आत्मीयता मिली जब सेवा कार्य में विजय सिंह कुशवाह ने अपनी उपस्थिति देकर आयोजन को और भी प्रेरणादायक बना दिया।

बनखंडेश्वर महादेव मंदिर पर पहुंचे कलेक्टर

भिण्ड। कलेक्टर श्रीवास्तव लहार से सीएम दौरे के लिए चिन्हित जगहों का निरीक्षण कर जब भिंड के लिए निकले तो बीच में जगमगाती हुई लाइटों को देखकर मंदिर प्रांगण में पहुंच गए और बनखंडेश्वर महादेव मंदिर के दरबार में माथा टेका उनके साथ अपर कलेक्टर भिंड श्री एल.के पाण्डेय,जिला पंचायत सीईओ संजीव कुमार दुबे,आदि प्रमुख रूप से कलेक्टर महोदय के साथ मौजूद रहे।

कलेक्टर ने रात में की औचक कार्रवाई, अवैध रेत खनन में प्रयुक्त लोडर जब्त

भिण्ड। भिंड जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम के लिए प्रशासन सतर्क है। इसी क्रम में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने गुरुवार रात लगभग 10:30 बजे औचक निरीक्षण के दौरान ग्राम मेंहदा पहुंचकर खनिज रेत के बिना अनुमति संचालित खनन कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक लोडर मशीन मौके पर खनन कार्य हेतु खड़ी पाई गई, जिस पर कलेक्टर ने तत्काल खनिज अधिकारी संजय धाकड़ को मौके पर बुलाया और लोडर को जप्त करने के निर्देश दिए। खनिज इंस्पेक्टर संजय धाकड़ द्वारा कलेक्टर के निर्देश पर उक्त लोडर को जब्त कर ऊमरी थाने में सुरक्षार्थ रखवाया गया। कलेक्टर श्रीवास्तव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जब?तशुदा वाहन पर खनिज नियमों के तहत विधिवत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिला प्रशासन द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इस तरह की कार्यवाही आगे भी सतत रूप से जारी रहेगी। जिला प्रशासन द्वारा आमजन से अपील की गई है कि कोई भी व्यक्ति बिना वैध अनुज्ञा के खनिजों का उत्खनन, परिवहन अथवा भण्डारण न करें।

नगर पंचायत की अनदेखी पूर्व सैनिक,कलेक्टर को दिया जनसुनवाई मे दिया आवेदन

नवभारत न्यूज
मेहगांव, 16 मई। मामला मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के गोरमी नगर पंचायत का हे जहाँ नगर पंचायत को नाला बनाने मे आखिर किस मुशीबत का सामना करना पड रहा है जो पूर्व सेनिक के लिए परेशानी का सबब बना हुआ हे,

गोरमी कस्वे के वार्ड क्र चार मे निवास रत पूर्व सैनिक रामदत्त सिह भदौरिया व्दारा नगर परिषद सीएम ओ से से नाला बनाने वावत कयी बार भेट करते हुऐ लिखित आवेदन देते हुऐ अपनी परेशानी को बताया कि हमारे घर के बगल से पानी के कारण मकान की वुनियाद (नीम) के अंदर पानी जाने के कारण मकान के अंदर सीलन हो गयी स्डुद्दडु जिससे आये दिन हमे परेशानी का सामना करना पड रहा हे अत: श्रीमान से अनुरोध हे कि नाला बनाने की क्रपा करे,

उसके बाद भी सुनवाई न होने के कारण पीडित पूर्व सैनिक जिलाधीश महोदय की जनसुनवाई मे आवेदन लेकर पहुचा, जहाँ कलेक्टर साहव ने आवेदन लेकर गोरमी सीएम ओ आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा उसके बाद भी नगर परिषद व्दारा कोई कार्यवाही न करते हुऐ पीडित पूर्व सैनिक को परेशानी झेलने के लिए विवश कर दिया,सबाल यह है कि आखिर कारण क्या हे

सामान्य वन मंडल, एवं सुप्रयास भिण्ड द्वारा राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस पर आयोजित की गई कार्यशाला

राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस के अवसर पर सामान्य वन मंडल, भिण्ड तथा सामाजिक संस्था सुप्रयास द्वारा जिला वन मंडल अधिकारी कार्यालय में च्चंबल संभाग में लुप्तप्राय प्रजातियों की स्थितिज्ञ विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए रेंज ऑफिसर वसंत शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस प्रतिवर्ष मई के तीसरे शुक्रवार को आयोजित किया जाता है। यह दिन लुप्तप्राय प्रजातियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस कार्यशाला के माध्यम से वन्यजीवों और उनके आवासों की रक्षा के महत्व को समझने में मदद मिलती है। दुनिया के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में मानवीय हस्तक्षेप सदियों से जारी है। आधुनिक दुनिया में जैसे-जैसे मनुष्य दुनिया के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करते और बसते गए, उन्होंने खेती के लिए भूमि साफ की, जहाज निर्माण के लिए जंगलों को काटा और पैसे के लिए शिकार और जाल बिछाना शुरू किया। पिछले कुछ वर्षों में, वन्यजीवों का शिकार और अवैध शिकार अधिक आम हो गया और दुनिया भर में वन्यजीवों की आबादी घटने लगी है।

प्रोफेसर इकबाल अली ने कहा कि आईयूसीएन रेड लिस्ट लिस्ट 2021 के अनुसार, भारत में कुल 199 प्रजातियाँ गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में मानी गई हैं।

लुप्तप्राय प्रजातियाँ ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनके निकट भविष्य में विलुप्त होने की बहुत संभावना है। लुप्तप्राय प्रजातियाँ निवास स्थान के नुकसान, अवैध शिकार, आक्रामक प्रजातियों और जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों के कारण खतरे में पड़ सकती हैं। पर इससे भी बड़ा कारण मनुष्यों के कारण है। लोग जंगलों को काटकर, हवा या पानी को प्रदूषित करके या शहरों और सड़कों का निर्माण करके जानवरों के प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा, जब जानवरों का बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता है, तो वे अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रजनन नहीं कर पाते हैं।

लुप्तप्राय शब्द का इस्तेमाल उन पौधों और जानवरों की प्रजातियों के लिए किया जाता है जो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं। जानवर आमतौर पर अत्यधिक शिकार या उनके आवास के विनाश के कारण लुप्तप्राय हो जाते हैं। जो जानवर संकटग्रस्त है वह विलुप्त होने के करीब है, अर्थात दुनिया में उस प्रकार के जानवर बहुत कम बचे हैं। गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (अर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स) जिसे सोन चिरैया भी कहा जाता है। कभी अपने ग्वालियर चंबल संभाग में पाई जाती थी अब बिल्कुल दिखाई नहीं देती है।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रोफेसर हरेंद्र देव शर्मा ने कहा कि भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं और यहां अब तक दर्ज स्तनधारी प्रजातियों में से 8.58 फीसदी का घर है, जबकि पक्षी प्रजातियों के लिए यह आंकड़ा 13.66 फीसदी है। इस कार्यशाला का उद्देश्य पृथ्वी के लुप्तप्राय वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। प्रकृति के सबसे शानदार जीव लुप्तप्राय हो रहे हैं, कुछ लोगों के लालच के कारण विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रहे हैं तथा इससे वन्यजीव पारिस्थितिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति हो रही है। हमें उन मुद्दों के बारे में जागरूक होने, चिंतन करने और कार्रवाई करने का अवसर है जो धरती के वन्यजीव जैव विविधता संतुलन को खतरे में डाल रहे हैं। अवैध जानवरों के अंगों और उत्पादों की काले बाजार में मांग से प्रेरित होकर, मनुष्य कई वन्यजीव प्रजातियों का शिकार, अवैध शिकार और उन्हें मार रहे हैं, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। कार्यशाला में सोन चिरैया अभ्यारण में लंबे समय तक कार्य कर चुके संजय तिवारी ने कहा कि वन्य जीवों की पहचान के लिए नए स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। क्योंकि जब तक प्रजातियों की व्यवहार परिस्थितियों आदि के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं होगी तो उनकी पहचान भी होना कठिन हो जाता है। इस कार्यशाला से वन्य जीवों की पहचान में मदद मिलेगी और उनकी उपस्थिति को भी दर्ज किया जा सकेगा।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए सुप्रयास के सचिव और वाइल्डलाइफ एक्टिविस्ट डॉ मनोज जैन ने बताया कि ग्वालियर चंबल संभाग में लुप्त प्रजाति के जीव जंतुओं और वनस्पतियों में कुछ आज भी उपस्थित हैं। जिनको शेड्यूल वन में रखा गया है। स्तनधारी में कृष्णमृग, स्याहगोश, चीता, चिंकारा, चौसिंगा, गंगा डॉल्फिन, तेंदुआ, बाघ, भेड़िया तथा पैंगोलिन प्रमुख हैं। वही एंफीबियन तथा रेप्टाइल में आगरा मॉनिटर लिजर्ड, येलो मॉनिटर लिजर्ड, क्रोकोडाइल, बाटगुर कछुआ, घड़ियाल, गंगा सॉफ्ट सेल टर्टल, इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल, इंडियन टेंट टाइटल तथा अजगर प्रमुख है। पक्षियों में सोन चिरैया, चील, बाज, सफेद गिद्ध, फाल्कन, बजर्ड, ओस्प्रे, मोर, साइबेरियन व्हाइट क्रेन, इंडियन स्कीमर, ब्लैक बेली टर्न प्रमुख है। तितलियां में डफर तथा टाइगर वाले चंबल संभाग में अक्सर मिल जाती हैं जो शेड्यूलवन में दर्ज हैं वही सिंध नदी में शंख भी मिल जाते हैं जिनके संरक्षण की आवश्यकता है।

इसके अलावा अभी वनस्पतियों की भी पहचान की आवश्यक है जिनको तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है। करशाला में डिप्टी रेंजर मेवाराम जाटव ने आभार व्यक्त किया। तथा कार्यशाला में मनोज भदोरिया, विनय भदोरिया, प्रदीप दोहरे, अनिल भदौरिया, जितेंद्र शर्मा, घनश्याम बाथम, शिवम वर्मा, भुल्लन सिंह भदोरिया, विजय प्रताप गर्ग, पवन आर्या, ज्योति तोमर, सरिता पचेकिया ने भी भाग लिया।